

राजस्थान सरकार


निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक एफ 20(101)आयो. भिन्न/बजट/लेखा/निकाशि/11-12/14078 दिनांक - 16.04.12

कार्यालय आदेश

विषय:- पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. के ऐरियर राशि के भुगतान बावत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय न्यायालय की पालना एवं वित्त विभाग की सहमति के आधार पर निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ 1 (248) पी.एस. /निकाशि/93-1/88 दिनांक 12.4.2012 की पालना में जिन पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. के वेतन नियतन निदेशालय द्वारा कर दिये गये हैं, वेतन नियतन के उपरान्त उनको देय ऐरियर राशि का नियमानुसार भुगतान आपके महाविद्यालय को संवेतन मद में आवंटित बजट राशि से नियमानुसार किया जावे ।



मुख्य लेखाधिकारी

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक एफ 20(101)आयो. भिन्न/बजट/लेखा/निकाशि/11-12/14078 दिनांक - 16.04.12
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
4. श्री धीरेन्द्र, व्याख्याता को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।



मुख्य लेखाधिकारी

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर